

29

Madhya Pradesh Pollution Control Board

Emergency Response Centre

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal -462 016 (M.P.)

Ph : 0755-2469180, PBX : 2466191, Fax : 0755-2463742 E-mail : ercmppcb@nic.in Web : www.erc.mp.gov.in

No. 305 /HOPCB/ERC/2018

Bhopal, Dt: 18 / 12 / 18

To,

**The Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Bhopal/Indore/Gwalior/Jabalpur
Satna/Shahdol/Ujjain**

Sub : Installation of IP-Camera by Common Biomedical Waste Treatment Facilities.

Ref. : H.O. Letter No. 152/BMW/HOPCB/Bhopal, dated 28.08.2017.

An interaction meet with CBWTF owners was convened at HQ on 27.07.2017 to discuss various issues pertaining to compliance of norms, including installation of IP-camera in the premises of CBWTF. During the meeting all the facility owners were asked to install the camera and subsequently provide access to the MPPCB for live feeds but none of the CBWTF has provided camera access to the Environment Surveillance Centre till date.

It is requested to follow the matter and send the status report of camera installation by CBWTF under your jurisdiction within 07 days time for onward action. Copy of the referred letter and the list of CBWTF are attached herewith for ready reference.

Yours Faithfully,



(H.K. Sharma)


Director, Environment

No. 306 HOPCB/ERC/2018

Bhopal, Dt: 18 / 12 / 2018

Copy to :

1. Shri Rajendra Malviya, Chief Chemist & Unit Head (BMW), M.P. Pollution Control Board, Bhopal for early necessary follow up action.



(H.K. Sharma)

Director, Environment

o/c

List of CBWTFs

1. M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Dist. Jabalpur (M.P.)
2. M/s. Bhopal Incinerators Pvt. Ltd., 6/5 H-Sector, Industrial area, Govindpura, Bhopal (M.P.)
3. M/s M.P. Bio-medical Wastes Disposal System, Jawahar Chowk, Umaria, Dist. Anuppur (M.P.)
4. M/s Davis Surgico, 3, Girraj Market, Lohia Bazar, Gwalior (M.P.)
5. M/s People's College of Medical Sciences & Research Centre, Bhanpur - Bhopal (M.P.)
6. M/s Bio-Medical Waste Management System, 55-56, Ved Vyas Colony, Ratlam (M.P.)
7. M/s Hoswin Incinerator Pvt. Ltd., 196 A, 198 B, Sector-F, Sanwer Road, Indore
8. Indo Water Management & Pollution Control Corporation, Operator of Bio-Medical Facility, Vill. Berkheda, Teh. Uchehra, Dist. Satna (M.P.)
9. M/s Environment Protection Corporation, Municipal landfill site, Khasra no.1111/1, Kasba, Sehore bypass Road, Sehore (M.P.)
10. M/s Krupa Wastes, Ramdev sadan, Manohar chouk, Gondia - 441601 (M.P.)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

क्रमांक 152 / जीचिअ / मप्रप्रनिबो / 2017

भोपाल, दिनांक 28/08/2017

प्रति

1. डा0 अनुप हजेला एवं शारदूल शाह - भोपाल इन्सीनिरेटर लिमिटेड भोपाल
2. श्री ए. हरकावत - इनवायरोमेंट प्रोटेक्शन कार्पोरेशन सिहोर
3. श्री एम.एम. कोचर - इलाइट इन्जीनियर्स जबलपुर
4. श्री अमोल मोहाने - इण्डो वाटर मैनेजमेंट एण्ड पालयूशन कन्ट्रोल कार्पोरेशन सतना
6. श्री उमेश सिंह- पिपूल्स मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल
6. श्री संजय सासोडा एवं मनोज जैसवाल - डेविस सर्जिको ग्वालियर
7. श्री दीपेश नवार - बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रतलाम
8. श्री पलाश जैन- एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, उमरिया


विषय:- दिनांक 27/07/2017 को सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. संचालको के साथ सम्पन्न बैठक के सन्दर्भ मे निर्देश।

उपरोक्त विषयान्त सम्पन्न हुई बैठक मे की गयी चर्चा के अनुसार, बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा के सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. एजेण्डा एक के अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालको द्वारा कन्टीनियूस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम उपकरण लगाये गये है किन्तु उनके द्वारा सही रिजल्ट नही बताये जा रहे है, एवं केलीब्रेशन की सुविधा भी नही दी गयी है। तत्काल सुधार करे या यदि आवश्यक हो तो उपकरण बदलें। उपकरण सप्लायर के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय भेजें। सीबीडब्ल्यूटीएफ ग्वालियर एवं उमरिया द्वारा उपकरण की स्थापना तत्काल करें।
2. एजेण्डा दो के अनुसार सभी सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालक कम से कम दो-दो वेब कैमरे फौसिलिटी परिसर मे तत्काल स्थापित करें।
3. एजेण्डा तीन के अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालको द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार निर्धारित समयवाधि मार्च 2017 तक बारकोड सिस्टम स्थापित नही किये जाने की वजह से जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन किया गया है। कृपया तत्काल बार कोड सिस्टम आरम्भ करें।
4. एजेण्डा चार अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालको द्वारा वेबसाईट पर नियमानुसार अथाराइजेशन, एनुवल रिपोर्ट, उपचार आदि की जानकारी उपलब्ध नही की जा रही है। जिससे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 5 का उल्लंघन किया जा रहा है। कृपया तत्काल कार्यवाही करें।

5. एजेण्डा पॉच अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालको द्वारा आपात स्थिति हेतु समीप के सीबीडब्ल्यूटीएफ के साथ एम.ओ.यू अभी तक तैयार कर बोर्ड को सूचित नही किया है, जो कि सी. पी.सी.बी. की गाइड लाइन के प्रावधानो का उल्लंघन है। कृपया तत्काल कार्यवाही कर बोर्ड को सूचित करें।
6. एजेण्डा छः अनुसार सभी सीबीडब्ल्यूटीएफ संचालको द्वारा इन्सीनरेटर के अपग्रेडेशन संबंधित की गयी कार्यवाही की जानकारी नही दी गयी। कृपया जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा निर्धारित समयावधि (27.03.2018) मे कार्य पूर्ण करे।
7. एजेण्डा सात एवं आठ अनुसार कार्यवाही करते हुए रिकार्ड का संधारण नियमित रूप से करें।

o/c


(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव